

कार्यालय: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

पत्र संख्या: 3982/सम्पत्ति/म0वृ0वि0प्रा0/2011-12 दिनांक

31.3.12

आवंटन पत्र

सेवा में,

इलिकजर बिल्डकॉन प्रा0लि0,
द्वारा श्री राजीव शर्मा (डायरेक्टर),
पता-सी-447, सैक्टर-19, नोएडा ।

विषय:- रूकमणी विहार आवासीय योजना, वृन्दावन में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जीएच-09 का नीलामी द्वारा आवंटन ।

महोदय,

अत्यन्त हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि रूकमणी विहार आवासीय योजना में दिनांक 16.03.12 को नीलामी में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जीएच-09 क्षेत्रफल लगभग 7950 वर्ग मी0 को उच्चतम बोली रू0 14,300/- प्रति वर्ग मी0 की दर पर निम्न शर्तों के साथ आपको आवंटन की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गई है ।

उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का अनुमानित कुल मूल्य रू0 11,36,85,000/- की 10 प्रतिशत धनराशि के विरुद्ध जमा की गई धनराशि रू0 1,14,00,000/- को समायोजित करते हुए शेष धनराशि रू0 10,22,85,000/- तथा 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्जेज रू0 1,36,42,200/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 11,59,27,200/- को आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर जमा करनी होगी अन्यथा जमा धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा समय से धनराशि जमा न करने की दशा में दण्ड व्याज 3.00 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा । अवशेष 90 प्रतिशत धनराशि रू0 10,22,85,000/- की 12.25 प्रतिशत ब्याज सहित छः छमाही किस्तों का विवरण निम्नवत् है :-

S.No.	DATE	PRINCIPAL	INTEREST	INSTALMENT
1	01-10-2012	14617754.00	6264956.00	20882710.00
2	01-04-2013	15513091.00	5369619.00	20882710.00
3	01-10-2013	16463268.00	4419442.00	20882710.00
4	01-04-2014	17471643.00	3411067.00	20882710.00
5	01-10-2014	18541781.00	2340929.00	20882710.00
6	01-04-2015	19677465.00	1205245.00	20882710.00

निम्नलिखित शर्तों के साथ आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है ।

- 1- भूखण्ड का प्रयोग ग्रुप हाउसिंग होगा तथा निर्माण नियमानुसार मानचित्र पास कराकर करना होगा ।
- 2- भूखण्ड पर बिजली पानी का कनेक्शन आवंटी को स्वयं के व्यय पर अपने नाम से लेना होगा ।
- 3- भूखण्ड की नियमित तीन किस्तों का भुगतान न करने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा ।
- 4- भूखण्ड पर विक्रय विलेख/अनुबन्ध के दिनांक से शासनादेशानुसार अधिकतम पाँच वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा एवं भवन के प्रयोग से पूर्व प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
- 5- आवंटी को स्थानीय कर एवं प्राधिकरण/शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क स्वयं देने होंगे ।
- 6- कब्जा दिये जाने के समय/विक्रय विलेख के समय भूखण्ड के क्षेत्रफल में अन्तर आने पर तदनुसार अधिकतम बोली मूल्य के अनुसार धनराशि अतिरिक्त भूमि पर ब्याज सहित देय होगी एवं फ्रीहोल्ड शुल्क जमा कराना होगा ।
- 7- भूखण्ड मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि एवं 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड चार्जेज जमा होने के उपरान्त भूखण्ड के सम्पूर्ण मूल्य के निर्धारित स्टाम्प लगाते हुए अनुबन्ध करा लेने के पश्चात् भूखण्ड पर कब्जा लिया जा सकेगा । समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करना होगा ।
- 8- भूखण्ड का कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया जा सकता है । भूखण्ड का उपविभाजन मान्य नहीं होगा ।

- 9- सम्पूर्ण धनराशि का मुगताग होन के उपरान्त रागिरेडु निद्रने निराड नरिड ।
- 10- यदि किसी एल0ए0 वाद में किसी न्यायालय द्वारा मुआवजे में बढ़ोत्तरी की जाती है तो वह धनराशि आनुपातिक रूप से आवंटी को देनी होगी ।
- 11- विक्रय विलेख/अनुबन्ध पंजीकरण का सम्पूर्ण व्यय आवंटी को देना होगा ।
- 12- कब्जे की तिथि से नगर पालिका को कालोनी हस्तान्तरण होने तक आवंटी द्वारा प्राधिकरण को नियमानुसार रख-रखाव शुल्क देना होगा । तदोपरान्त स्थानीय निकाय द्वारा रख-रखाव शुल्क प्राप्त किया जायेगा ।

4
साचिव

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

मथुरा ।